एग्री मैगज़ीन
(कृषि लेखों के लिए अंतरराष्ट्रीय ई-पत्रिका)
वर्ष: 03, अंक: 01 (जनवरी, 2026)
www.agrimagazine.in पर ऑनलाइन उपलब्ध
© एग्री मैगज़ीन, आई. एस. एस. एन.: 3048-8656

मध्य प्रदेश भावांतर भुगतान योजना: किसानों के लिए मूल्य सुरक्षा की गारंटी

*सौरभ शुक्ल[1] एवं साक्षी चतुर्वेदी[2]
[1]पीएचडी रिसर्च स्कॉलर, कृषि अर्थशास्त्र विभाग, कृषि विज्ञान संस्थान, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, झांसी (उ.प्र.), भारत
[2]यंग प्रोफेशनल II, भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, झाँसी (उ.प्र.), भारत
*संवादी लेखक का ईमेल पता: saurabhanilshukla@gmail.com

मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है, जहाँ की बड़ी आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खेती पर निर्भर है और राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ सोयाबीन, गेहूं, चना, मसूर और अरहर जैसी फसलें बड़े पैमाने पर उगाई जाती हैं, जिनमें विशेष रूप से सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। लेकिन बीते कुछ वर्षों से यह देखने में आ रहा है कि जब एक साथ बड़ी मात्रा में फसल मंडियों में पहुँचती है, तो आपूर्ति बढ़ने के कारण बाजार भाव गिर जाते हैं और कई बार ये भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से भी काफी नीचे चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में किसानों को अपनी उपज लागत से कम दाम पर बेचने की मजबूरी हो जाती है, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। आज के समय में खेती की लागत लगातार बढ़ रही है—बीज, खाद, कीटनाशक, सिंचाई, डीजल और मजदूरी सभी महंगे हो चुके हैं। यदि ऐसी परिस्थितियों में किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य न मिले, तो उसकी आर्थिक स्थिति और कमजोर हो जाती है और वह कर्ज के बोझ में फँस जाता है। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने भावांतर भुगतान योजना को दोबारा प्रभावी रूप से लागू किया है। इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यदि किसान को मंडी में अपनी फसल MSP से कम दाम पर बेचनी पड़े, तो सरकार उस अंतर की भरपाई सीधे किसान के बैंक खाते में करे, ताकि किसान बाजार में स्वतंत्र रूप से फसल बेच सके, लेकिन कीमत गिरने की स्थिति में उसे आर्थिक नुकसान न उठाना पड़े और उसकी मेहनत का उचित मूल्य उसे हर हाल में मिल सके।

योजना का उद्देश्य (Objectives)

भावांतर भुगतान योजना को लागू करने के पीछे सरकार का मूल उद्देश्य यह है कि किसानों को उनकी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के आसपास एक सुनिश्चित, स्थिर और भरोसेमंद मूल्य व्यवस्था प्रदान की जा सके, चाहे बाजार की परिस्थितियाँ अनुकूल हों या प्रतिकूल। व्यवहार में अक्सर यह देखा जाता है कि कटाई के समय जब एक साथ बड़ी मात्रा में फसल मंडियों में पहुँचती है, तो आपूर्ति में अचानक वृद्धि के कारण बाजार भाव तेजी से गिर जाते हैं। कई बार ये भाव इतने नीचे चले जाते हैं कि किसान को अपनी उपज उत्पादन लागत से भी कम मूल्य पर बेचने की मजबूरी हो जाती है, जिससे उसकी महीनों की मेहनत का उचित प्रतिफल नहीं मिल पाता और उसे गंभीर आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है। इस योजना के माध्यम से सरकार यह हासिल करना चाहती है कि बाजार की ऐसी अस्थिर परिस्थितियों में भी किसान की आय पूरी तरह असुरक्षित न हो।

वर्तमान समय में खेती की लागत लगातार बढ़ रही है—बीज, खाद, कीटनाशक, सिंचाई, डीजल और मजदूरी जैसे सभी इनपुट महंगे हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में यदि फसल का उचित मूल्य न मिले, तो किसान की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है और वह कर्ज के दुष्चक्र में फँस जाता है। भावांतर भुगतान योजना का एक प्रमुख लक्ष्य यह है कि किसान बाजार में स्वतंत्र रूप से अपनी फसल बेच सके, लेकिन कीमत गिरने की स्थिति में उसकी आय पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े और MSP तथा बाजार भाव (या मॉडल रेट) के बीच के अंतर की भरपाई सीधे उसके बैंक खाते में कर दी जाए। इससे न केवल किसान को तत्काल आर्थिक राहत मिलती है, बल्कि उसकी आय में एक प्रकार की स्थिरता भी आती है।

इस योजना का एक अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य यह भी है कि किसानों को केवल सरकारी खरीद केंद्रों पर निर्भर न रहना पड़े और सरकारी खरीद प्रणाली पर अत्यधिक दबाव न बने। इसके साथ-साथ सरकार का यह भी लक्ष्य है कि बिचौलियों की भूमिका को सीमित किया जाए, भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जाए और आधुनिक तकनीक के माध्यम से सीधे लाभ अंतरण (DBT) को प्रोत्साहित किया जाए। दीर्घकालीन दृष्टि से यह योजना राज्य में एक ऐसी मूल्य-सुरक्षा व्यवस्था (Price Security

Mechanism) विकसित करने की दिशा में कदम है, जिससे किसानों का बाजार पर भरोसा बढ़े, उनकी आय अधिक स्थिर और पूर्वानुमेय बने तथा राज्य की कृषि व्यवस्था अधिक मजबूत, टिकाऊ और आत्मनिर्भर हो सके। कुल मिलाकर, भावांतर भुगतान योजना का उद्देश्य केवल तात्कालिक राहत देना नहीं है, बल्कि किसानों की आय-सुरक्षा, बाजार प्रणाली में संतुलन और कृषि क्षेत्र की दीर्घकालिक मजबूती सुनिश्चित करना है।(Source-Press Information Bureau, 2025)

MSP, मॉडल रेट और भुगतान की पूरी व्यवस्था

इस योजना को समझने के लिए तीन शब्द बहुत जरूरी हैं — MSP, मंडी भाव और मॉडल रेट। MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसे केंद्र सरकार हर साल तय करती है। सोयाबीन के लिए यह करीब ₹5328 प्रति क्विंटल तय किया गया था। दूसरी ओर मंडी में जो वास्तविक खरीद-बिक्री होती है, उसका एक औसत निकाला जाता है, जिसे सरकार मॉडल रेट कहती है।(Source-Commission for Agricultural Costs and Prices, 2024; Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, 2024)

सरकार सीधे MSP और किसान को मिले दाम का अंतर नहीं देती, बल्कि MSP और मॉडल रेट के बीच का अंतर देती है, ताकि व्यवस्था संतुलित बनी रहे और बाजार में अनावश्यक गड़बड़ी न हो। उदाहरण के तौर पर अगर MSP ₹5328 है और मॉडल रेट ₹4450 के आसपास तय हुआ, तो सरकार लगभग ₹878 प्रति क्विंटल का अंतर किसानों को देती है। यह राशि सीधे DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से बैंक खाते में जाती है।

टेबल 1: सोयाबीन के भाव का उदाहरण (2025-26)

विवरण	राशि (₹ प्रति क्विंटल)
MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य)	5328
मंडी में औसत भाव	4000 – 4300
सरकार द्वारा तय मॉडल रेट	लगभग 4450
भावांतर (लगभग)	850 – 900

योजना के अंतर्गत वित्तीय व्यय और लाभार्थियों की स्थिति

मध्य प्रदेश सरकार ने भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत किसानों को राहत पहुँचाने के लिए चरणबद्ध और व्यवस्थित तरीके से भुगतान प्रक्रिया अपनाई है। अलग-अलग तिथियों पर सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर किसानों के बैंक खातों में सीधे राशि ट्रांसफर की गई, जिससे योजना का वास्तविक लाभ किसानों तक पहुँच सके। उपलब्ध सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इस योजना के अंतर्गत अब तक करीब 6.5 लाख किसानों को लाभ पहुँचाया जा चुका है और उनके खातों में लगभग 1290 करोड़ रुपये से अधिक की राशि ट्रांसफर की गई है। यह भुगतान मुख्य रूप से सोयाबीन उत्पादक किसानों को दिया गया, जिन्हें मंडी में अपनी फसल MSP से कम दाम पर बेचनी पड़ी थी। सरकार ने पहले चरण में कुछ लाख किसानों को सैकड़ों करोड़ रुपये की राशि जारी की और उसके बाद दूसरे व तीसरे चरण में शेष किसानों को भी भुगतान किया गया। इस बड़े पैमाने पर किए गए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) से यह स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार ने इस योजना को केवल घोषणा तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे जमीन पर प्रभावी रूप से लागू करते हुए किसानों को वास्तविक आर्थिक राहत पहुँचाने का प्रयास किया है। इतनी बड़ी संख्या में किसानों तक एक साथ सहायता राशि पहुँचना इस बात का संकेत है कि भावांतर भुगतान योजना राज्य की कृषि नीति में एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली हस्तक्षेप के रूप में उभरकर सामने आई है।(Source-Government of Madhya Pradesh, Public Relations Department, 2025; DD India, 2025)

टेबल 2: भावांतर भुगतान का सारांश

चरण	तारीख	किसान (लगभग)	राशि (करोड़ ₹)
पहला चरण	नवंबर 2025	1.3 लाख	230+
दूसरा चरण	नवंबर 2025	1.3 लाख	249
तीसरा चरण	दिसंबर 2025	3.7 लाख	810
कुल	—	6.5 लाख	1290+

सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक करीब 6.5 लाख किसानों को 1290 करोड़ रुपये से ज्यादा का भुगतान किया जा चुका है। यह अपने आप में दिखाता है कि योजना का दायरा कितना बड़ा है और सरकार ने इस पर कितना बड़ा वित्तीय भार उठाया है।

किसानों के लिए यह योजना क्यों आवश्यक है

वर्तमान समय में खेती अब केवल परंपरागत आजीविका का साधन नहीं रह गई है, बल्कि यह एक उच्च लागत वाला जोखिम भरा उद्यम बन चुकी है। बीज, उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई, डीजल, बिजली और मजदूरी जैसे सभी कृषि इनपुट्स की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसी स्थिति में किसान अपनी फसल उगाने में भारी पूँजी लगाता है और जब कटाई के बाद उसे बाजार में उसकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता, तो उसकी पूरी आर्थिक गणना बिगड़ जाती है। यदि बाजार भाव उत्पादन लागत से नीचे चला जाए, तो किसान को न केवल घाटा सहना पड़ता है, बल्कि उसे अपनी पारिवारिक जरूरतों और अगली फसल की तैयारी के लिए भी कर्ज पर निर्भर होना पड़ता है, जिससे उसकी आर्थिक असुरक्षा और बढ़ जाती है।

भावांतर भुगतान योजना इसी अनिश्चितता को कम करने का काम करती है और किसानों के लिए एक प्रकार की आय-सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करती है। इस योजना की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि किसान को अपनी उपज बेचने के लिए किसी विशेष सरकारी खरीद केंद्र पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। वह सामान्य रूप से मंडी में फसल बेच सकता है और यदि वहाँ उसे कम मूल्य मिलता है, तो सरकार बाद में मूल्य-अंतर की राशि सीधे उसके बैंक खाते में जमा कर देती है। इससे एक ओर किसान को समय पर अपनी फसल बेचने की सुविधा मिलती है, वहीं दूसरी ओर भुगतान की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होती है और बिचौलियों की भूमिका सीमित होती है। इस प्रकार यह योजना किसानों को बाजार के उतार-चढ़ाव से बचाते हुए उनकी आय में स्थिरता लाने और उन्हें आर्थिक रूप से अधिक सुरक्षित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

जमीनी स्तर पर आने वाली समस्याएँ और चुनौतियाँ

हालाँकि योजना कागज़ पर बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जमीन पर इसे लागू करने में कुछ व्यावहारिक दिक्कतें भी सामने आती हैं। सबसे पहली समस्या मॉडल रेट को लेकर भ्रम है। कई बार किसान को यह समझ नहीं आता कि उसे प्रति क्विंटल कितना भावांतर मिलेगा, क्योंकि मॉडल रेट रोज बदलता रहता है।

दूसरी बड़ी समस्या भुगतान में देरी की है। मंडी से डेटा आने, उसकी जांच होने और फिर बैंक में पैसा आने तक कई बार हफ्तों लग जाते हैं। कुछ किसानों की बैंक डिटेल या आधार लिंक न होने की वजह से भी भुगतान अटक जाता है।

तीसरी समस्या यह है कि हर किसान मंडी तक आसानी से नहीं पहुँच पाता, खासकर छोटे और दूर-दराज के गांवों के किसान। ऐसे किसान कई बार स्थानीय व्यापारियों को ही फसल बेच देते हैं और फिर योजना के दायरे से बाहर रह जाते हैं।

कुछ अर्थशास्त्रियों और किसान संगठनों ने यह आशंका भी जताई है कि कहीं ऐसा न हो कि बड़े व्यापारी मंडी के भाव को जानबूझकर नीचे रखें और उसका फायदा उठाएँ, हालाँकि सरकार ने इन आरोपों को आंकड़ों के आधार पर खारिज किया है।

निष्कर्ष

भावांतर भुगतान योजना मध्य प्रदेश के किसानों के लिए एक बहुत बड़ा राहत पैकेज साबित हुई है। करीब 1300 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि का सीधे किसानों के खातों में जाना इस बात का प्रमाण है कि सरकार किसानों की आय को सुरक्षित रखने को लेकर गंभीर है। हालांकि अभी भी भुगतान प्रक्रिया, मॉडल रेट की पारदर्शिता और मंडी व्यवस्था को और मजबूत करने की जरूरत है, लेकिन इसके बावजूद यह योजना MSP की व्यावहारिक गारंटी देने की दिशा में एक बड़ा और सराहनीय कदम है। अगर इसे आने वाले समय में और फसलों तक विस्तार दिया जाए और इसकी तकनीकी कमियों को दूर कर दिया जाए, तो यह योजना मध्य प्रदेश के कृषि मॉडल को देश के लिए एक उदाहरण बना सकती है।

संदर्भ

1. कृषि लागत और मूल्य आयोग। (2024). खरीफ फसलों के लिए प्राइस पॉलिसी 2024–25. कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। https://cacp.dacnet.nic.in
2. दृष्टि IAS. (2025). मध्य प्रदेश ने भावांतर भुगतान योजना फिर से शुरू की। https://www.drishtiias.com/state-pcs-current-affairs/mp-reintroduces-bhavantar-scheme
3. मध्य प्रदेश सरकार, किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग। (2025). भावांतर भुगतान योजना: ऑपरेशनल गाइडलाइंस। https://mpkrishi.mp.gov.in
4. मध्य प्रदेश सरकार। (2025). MP ई-उपार्जन पोर्टल: रजिस्ट्रेशन और खरीद सिस्टम। https://mpeuparjan.nic.in
5. मध्य प्रदेश सरकार, पब्लिक रिलेशन्स डिपार्टमेंट। (2025). सोयाबीन किसानों को भावांतर पेमेंट पर ऑफिशियल रिलीज़। https://www.mpinfo.org
6. कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय. (2024). भारत में मिनिमम सपोर्ट प्राइस और प्राइस सपोर्ट पॉलिसी. भारत सरकार. https://agricoop.nic.in

7. नीति आयोग. (2023). प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट सिस्टम: कॉन्सेप्ट और पॉलिसी फ्रेमवर्क. भारत सरकार. https://www.niti.gov.in
8. प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो. (2025). एग्रीकल्चरल प्राइस सपोर्ट और DBT पर सरकार की पहल. भारत सरकार. https://pib.gov.in
9. द इकोनॉमिक टाइम्स. (2025). डेटा भावांतर योजना में प्राइस मैनिपुलेशन के आरोपों को गलत साबित करता है, MP सरकार का कहना है. https://economictimes.indiatimes.com
10. DD इंडिया. (2025). भावांतर स्कीम मध्य प्रदेश में सोयाबीन किसानों को राहत देती है. https://ddindia.co.in